

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 20/20

निर्णय दिनांक:-28-02-2020

(आरसीएमएस संख्या 2020/00035)

1. आरिफ खॉ <sup>उर्फ</sup> अरफखॉ पुत्र गुलाम खॉ उर्फ गुलमंद खॉ जाति मुसलमान निवासी गांव भलूरी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

-रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 26-09-1998

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत




उपस्थिति:-

1. श्री सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 26-09-1998 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 7 आरएम के मुरब्बा नम्बर 157/28 के किला नम्बर 11 ता 13, 16, 18 ता 23, 24 में 12 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 15 में 1 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 157/21 के किला नम्बर 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 10 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 22 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु दिनांक 18-03-1985 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र पर अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन भी कर दिया गया

  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर


तथा आवंटन पट्टा अपीलांट के पक्ष में जारी कर दिया गया, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटन किये जाने से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि के आवंटन को डबल आवंटन का प्रकरण मानते हुए अपीलांट को पुनः दिनांक 26-09-1998 को चक 3 बीडब्ल्यूएम के मुर्ब्बा नम्बर 197/30 के किला नम्बर 1 ता 23 की 23 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्रता के अनुसार आवंटन किया गया, परन्तु उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उक्त भूमि भी अपीलांट के आवंटन से पूर्व अन्य व्यक्ति लिखमा पत्नी लिखमाराम उर्फ लिछुराम जाति जाट को आवंटित थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।



राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-09-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 13-01-20 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
जयपुर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-09-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 13-01-2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलांत एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



हस्तगत प्रकरण में अपीलांत द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 31-12-1984 को दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से अपीलांत को सक्षम मानते हुए दिनांक 18-03-1985 को उपनिवेशन तहसील कोलायत चक 7 आरएम के मुरब्बा नम्बर 157/28 के किला नम्बर 11 ता 13, 16, 18 ता 23, 24 में 12 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 15 में 1 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 157/21 के किला नम्बर 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 में 10 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 22 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त कार्यवाही की सूचना अपीलांत को नहीं दी गई। उक्त कार्यवाही के करीब 13 वर्ष उपरान्त अचानक पत्रावील सुनवाई हेतु लेकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विनिमय में चक 3 बीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 197/30 की 23 बीघा आवंटित कर दी गई। इसकी सूचना भी आवेदक को नहीं दी तथा कालान्तर में यह भी किसी अन्य को आवंटित कर दी गई। वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार लिछमा पत्नी लिखमाराम उर्फ लिछुराम जाति जाट है।


इसप्रकार अपीलांत/आवेदक को 13 साल तक इंतजार में रखा गया तथा उसके आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की उसे सूचना नहीं दी गई। इस प्रकार आवेदक के साथ आवंटन अधिकारियों का क्रूर मजाक है। जिस आवंटन आदेश की आगामी 18 साल तक क्रियान्विती नहीं हुई तथा राजस्व/उपनिवेशन विभाग के अधिकारी अपना रिकार्ड अपडेट नहीं कर पाये। ऐसे आवंटन का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 26-09-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पूर्व आवंटन की क्रियान्विती की जाँच की जाकर पूर्व आवंटन प्रभावी नहीं पाये जाने पर अपीलांट की सक्षमता के अनुसार नये सिरे से आवंटन की कार्यवाही करें।



निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(राम रतन सौकरिया)  
राजस्थान उच्च न्यायालय, अधिकारी  
बीकानेर

